


फर्द अहकाम

न्यायालय _____
 मुन्ना देवी बनाम जगदीश
 मुकदमा संख्या/वर्ष 3/2022 : 2021/459/20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/3/24	<p>पद्यावली पेश हुई। वकील डिह्रीदार उपर तहसीलदार से पालना रिपोर्ट में पेश शामिल मिसल दी। वकील डिह्रीदार ने कथन किया कि तहसीलदार सीगाने द्वारा अशुद्ध पालना रूख कर दी गई है। प्रकरण के भागे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। पद्यावली केवल शिमांर लेकर दर्ज के लिए कम है। बाद तकनीक दखिल सूत्र है।</p> <p style="text-align: right;">  रूप खण्ड आवेकाय कमल विवेक </p>

